

अनुसूची आ (बी)-फारम सं० 14 ।

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्यों के लिए हवाई यात्रा भत्ता बिल ।

उपस्थिति-पंजी में क्रम सं० बिल सं० , सं० 20
 पूर्व सदस्य/सदस्या का नाम श्री/श्रीमती
 निवास स्थान
 कोषागार (जहाँ बिल का भगान होगा)

अनुसूची आ (बी)-फारम सं० 14 :

रूपये से कम

प्राप्त

पूर्ण संविद०सं०

यात्रा कालेवाले सदस्य का हस्ताक्षर ।

500 रु० से अधिक
की राशि की आपि
के लिए । रूपया
का याकृत टिकट
आवश्यक ।

हवाई भाड़ा			आवंटन	रूपये	५०
			200.....2.... के लिए आवंटन..... इस बिल सहित अथ		
कुल योग-			उपलब्ध राशि		

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त हवाई यात्रा के दौरान
..... लिखियों के मैने बस्तुतः आधिक रूप से / पूर्ण रूप से पटना / छन्द के बाहर में निवास किया था ।

पूर्ण सदस्य, विहार विधान सभा

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि मैने किसी अन्य रूप में यात्रा-भत्ता प्राप्त नहीं किया है एवं उपर्युक्त हवाई यात्रा
..... सहयोगी के साथ किया हूँ ।

पूर्ण सदस्य, विहार विधान सभा

प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित किया जाता है कि जिन लिखियों के लिए हवाई भाड़ा स्वीकार किया गया है, उन्हें भत्ता
रजिस्टर से मिला लिया गया है और वे ठीक पायी गयी हैं ।

उप सचिव, विहार विधान सभा

महालेखापाल के कार्यालय में उपयोग के लिए ।

दूसरी स्वीकृत दर तथा गणना की जांच की और ठीक पाया ।

रु० स्वीकृत । कार्यित करनों से रु० पर आपति की गई ।

अंकेशक सहायक अधीक्षक ।

रु० ३० 20 ।
डॉ ।

कोक्षानार में भुगतान के लिए केवल रु० ऐसे पारित ।

महालेखापाल, विहार

अंकेशक रजिस्टर में दर्ब चाला गया

अंकेशक सहायक अधीक्षक